भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 553

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

थामिराबरनी नदी में प्रदूषण की स्थिति

553. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिरुनेलवेली में थामिराबरनी नदी में प्रदूषण की स्थिति की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास थामिराबरनी नदी की सफाई और पुनरुद्धार के लिए कोई प्रस्ताव या योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पास देश की सभी प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार और सफाई की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवम्बर, 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, थामिराबारानी नदी में पप्पनकुलम से अरुमुगनेरी तक के क्षेत्र को 75 मिलीग्राम प्रति लीटर जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) स्तर के साथ प्राथमिकता-IV के प्रदूषित नदी खंड के रूप में चिन्हित किया है।

(ख) और (ग): यह राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जिम्मेदारी है कि वे नदियों और अन्य जल निकायों में पानी छोड़े जाने से पहले निर्धारित मानदंडों के अनुसार, सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों का अपेक्षित उपचार सुनिश्चित करें। भारत सरकार नमामि गंगे, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के बीच तिरुनेलवली तमिलनाडु में थामिराबरानी नदी के प्रदूषण उपशमन कार्य के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की थीं और उन्हें कार्य निष्पादित करवाया गया था। इस समय, मंत्रालय में कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण उपशमन कार्य के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम "नमामि गंगे" चलाई जा रही है। जबकि देश में गंगा के अलावा, अन्य नदियों के प्रदूषण उपशमन कार्य के लिए राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों में सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना'' चलाई जा रही है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), सीवरेज और उपचार सुविधाओं के निर्माण में राज्यों और स्थानीय शहरी निकायों की सहायता की जाती है जो नदियों के प्रदूषण निवारण कार्य में भी योगदान प्रदान करता है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम में अब तक 8931.49 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत से देश के 17 राज्यों में फैली 57 नदियों को शामिल किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ 2941 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की सीवेज शोधन क्षमता सृजित की गई है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, 39,604 करोड़ रुपये की लागत से 6,255 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 203 परियोजनाओं और 5,249 किलोमीटर के सीवर नेटवर्क सहित कुल 484 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

*****